

कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

कनिष्ठ अभियंता(सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा)परीक्षा, 2016

कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा की तिथि: 03.12.2016 से 05.12.2016

अंतिम तिथि : 31.10.2016

“सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

फा.सं. 3/7/2016 नी. व यो.-II कर्मचारी चयन आयोग 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200/-रू.(संशोधन-पूर्व) के वेतन बैंड में कनिष्ठ अभियंता समूह 'ख', अराजपत्रित, पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 03 दिसम्बर, 2016 से 05 दिसम्बर, 2016 तक एक खुली प्रतियोगी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगा।

2. पद एवं रिक्तियां

क्रम सं.	संगठन	पद
1.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
2.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)
3.	के लो नि वि	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
4.	के लो नि वि	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)
5.	डाक विभाग	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
6.	सैनिक इंजीनियरी सेवा	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
7.	सैनिक इंजीनियरी सेवा	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)
8.	सैनिक इंजीनियरी सेवा	कनिष्ठ अभियंता (मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा)
9.	फरक्का बांध (परियोजना)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
10.	फरक्का बांध (परियोजना)	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक/वैद्युत)
11.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
12.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)
13.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (नौ-सेना गुणवत्ता आश्वासन)- (यांत्रिक)
14.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (नौ-सेना गुणवत्ता आश्वासन)- (वैद्युत)

3. आरक्षण:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूपू/शारीरिक दिव्यांग इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों एवं रिक्तियां सूचित करने वाले विभागों द्वारा यथा-सूचित रिक्तियों के अनुसार उपलब्ध है।

ये पद चालीस प्रतिशत और अधिक की एक बांह(एबां), एक पैर(एपै), श्रवण दिव्यांग (श्र.दि.) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं ।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया ,मालाबी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

4(क) 01 अगस्त , 2016 को आयु सीमा:

क्रम सं.	संगठन का नाम	पद का नाम	आयु
1.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	32 वर्ष तक
2.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	32 वर्ष तक
3.	के ला नि वि	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	32 वर्ष तक
4.	के ला नि वि	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	32 वर्ष तक
5.	डाक विभाग	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	18-27 वर्ष
6.	सैनिक इंजीनियरी सेवा	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
7.	सैनिक इंजीनियरी सेवा	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)	30 वर्ष तक
8.	सैनिक इंजीनियरी सेवा	कनिष्ठ अभियंता (मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा)	18-27 वर्ष
9.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
10.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत/यांत्रिक)	30 वर्ष तक
11.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
12.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	30 वर्ष तक
13.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (नौ-सेना गुणवत्ता आश्वासन) (यांत्रिक)	30 वर्ष तक
14.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (नौ-सेना गुणवत्ता आश्वासन) (वैद्युत)	30 वर्ष तक

अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं पदों का विकल्प देने की सलाह दी जाती है जिसके लिए उनके पास योग्यता है और वे निर्धारित आयु सीमा के भीतर हैं। उपरोक्त पैरा 4(क) के अंतर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुइये) छूट तथा गणना की तिथि को आयु में छूट के दावे के लिए श्रेणी-कोड निम्नानुसार है:-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य छूट
1	अजा/अजजा	05 वर्ष
2	अ पि व	03 वर्ष
3	शा दि (अ दि/श्र दि)	10 वर्ष
4	शा दि (अदि/ श्र दि) + अपिव	13 वर्ष
5	शा दि (अदि/ श्र दि) + अजा / अजजा	15 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित /सामान्य)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
7	भूतपूर्व सैनिक(अपिव)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3 वर्ष+3 वर्ष)
8	भूतपूर्व सैनिक (अजा/अजजा)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष (3 वर्ष+5 वर्ष)
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य /अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	05 वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	08 वर्ष (5+3 वर्ष)
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 (5+5 वर्ष)
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों। (सामान्य /अनारक्षित)	05 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों। (अपिव)	08 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों। (अजा/अजजा)	10 वर्ष
27	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक(सामान्य /अनारक्षित)	05 वर्ष
28	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक(अपिव)	08 (5+3) वर्ष
29	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक(अजा/अजजा)	10 (5+5) वर्ष

4-ख- ऐसे भूतपूर्व सैनिक शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है। तथापि, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

कनिष्ठ अभियंता का पद समूह 'ख' होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है । तथापि, भूपूसै अभ्यर्थियों को आयु में छूट का लाभ वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य होगा ।

भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
- (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
- (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या
- (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन के समय तब प्रस्तुत करना होगा, जब ऐसे प्रमाणपत्रों की मांग संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/शादि / भूपूसै की स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) स्तर में अपिव प्रमाण पत्र, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व 03 वर्ष के भीतर प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। आयोग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् विहित प्रारूप में जारी लेकिन 180 दिनों तक जारी किए गए अपिव प्रमाणपत्र को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार केवल 01-11-2013 से 29-04-2017 तक जारी किए गए अपिव प्रमाणपत्र को स्वीकार किया जाएगा। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख 01.11.2013 से पूर्व अथवा 29.04.2017 के बाद है तो अभ्यर्थी को केवल अनारक्षित (अना) अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा।

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/अपिव/भूपूसै/ शादि दर्जे का दावा करते हैं, तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है।

6. आवश्यक शैक्षिक योग्यता: (01.08.2016 को)

क्र.सं.	पद	शैक्षिक एवं अन्य योग्यता
1.	कनिष्ठ अभियंता(सिविल), केलोनिवि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।
2.	कनिष्ठ अभियंता(वैद्युत), केलोनिवि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।
3.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), डाक विभाग	केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता।
4.	(क) कनिष्ठ अभियंता (सिविल), सैनिक इंजीनियरी सेवा (ख) कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक), सैनिक इंजीनियरी सेवा (ग) कनिष्ठ अभियंता (मा.सं. एवं सं) सैनिक इंजीनियरी सेवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा i)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा और ii) सिविल अभियांत्रिकी कार्य के नियोजन, उसका निष्पादन करने और उसके रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा i)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा और ii) वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्य के नियोजन, उसका निष्पादन करने और उसके रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव i)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय / बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा समकक्ष:

		अथवा
		ii) भारतीय सर्वेक्षण संस्थान (भारत) के उपमंडल-II से भवन एवं मात्रा सर्वेक्षण में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5.	केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।
6.	केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।
7.	फरक्का बांध परियोजना में कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
8.	फरक्का बांध परियोजना में कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
9.	फरक्का बांध परियोजना में कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
10.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र में कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
11.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र में कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
12.	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय-नौसेना	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, और अपने-अपने क्षेत्रों अर्थात् टरबाइन सहित समुद्री इंजीनियरी नोदन प्रणालियों, विद्युत उत्पादन उपस्कर, हाइड्रोलिक प्रणाली, वातानुकूलन/रेफ्रिजरेशन, पम्प मूल्यों, गियर और गियर ट्रेनों, बायलरों, क्रेनों/घिरनियों/भार संभालने वाले उपकरणों इत्यादि के विभिन्न मानकों की जानकारी और उनके प्रतिपादन सहित उनके गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण/उत्पादन/विनिर्माण और परीक्षण के क्षेत्र में से किसी एक में दो वर्ष का अनुभव
13.	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय, नौ-सेना	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, और अपने-अपने क्षेत्रों अर्थात् स्विच गियरों, केबलों, कनवर्टरों, प्रकाश एवं प्रकाश जुड़नारों, मोटरों, जनित्रों, चालन एवं नियंत्रण प्रणालियों विमान-क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था उपस्कर, इलैक्ट्रॉनिक्स/राडार/रेडियो/दूर संचार उपस्कर, वैद्युत हाइड्रोलिक प्रणाली, प्रोग्राम योग्य तर्कसंगत नियंत्रक आधारित प्रणालियां, मुद्रित सर्किट बोर्डों/इंस्ट्रुमेंटेशन, सॉफ्टवेयर विकास एवं वैद्यता, नेटवर्क नियंत्रण प्रणाली इत्यादि के विभिन्न मानकों की जानकारी और उनके प्रतिपादन सहित उनके गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण/उत्पादन/विनिर्माण और परीक्षण के क्षेत्र में से किसी एक में दो वर्ष का अनुभव।

भारत के राजपत्र के दिनांक 08.04.1995 के अंक में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 01.03.1995 की अधिसूचना सं.44 के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से अर्जित अर्हताएं दूरस्थ शिक्षा परिषद,इग्नू से और जहां कहीं आवश्यक हो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को 01-08-2016 को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संगत मूल प्रमाणपत्र जैसे अंकतालिकाएं,अंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की

अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा।

ऐसे भूपूसे इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं जिन्होंने सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित सशस्त्र सेनाओं से विभिन्न पाठ्यक्रम किए हैं जो कि सिविल/यांत्रिक/वैद्युत अभियांत्रिकी के समकक्ष हों।

7. भुगतान का तरीका : देय शुल्क 100/-रु (एक सौ रुपए मात्र)

अभ्यर्थी नोट करें कि <http://ssc.online.nic.in> पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

ऑन लाइन आवेदनों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक चालान/नेट बैंकिंग और किसी क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए शुल्क के भुगतान को स्वीकार किया जाएगा।

महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के लिए पात्र भू.पू. सैनिकों को नियमानुसार/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्ही भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा।

8. परीक्षा केन्द्र

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में परीक्षा के केन्द्र को स्पष्ट रूप से अवश्य दर्शाया जाए।

क्र. स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय
1.	देहरादून-2002, दिल्ली -2201, जयपुर-2405	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504
2.	हैदराबाद-8601, विशाखापटनम-8007 चेन्नई-8201 पुडुचेरी-8401	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ईवीके संपत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
3.	गंगटोक-4001, रांची-4205, कोलकाता-4410, भुवनेश्वर-4604, पोर्ट ब्लेयर-4802	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, निजाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन,(आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
4.	अहमदाबाद-7001, मुम्बई-7204, नागपुर-7205, पणजी-7801	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग,

		प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे मार्ग, मुम्बई, महाराष्ट्र-408020
5.	इलाहाबाद -3003, लखनऊ-3010 पटना-3206,	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लॉउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
6.	ईटानगर-5001, गुवाहाटी(दिसपुर)-5105 इम्फाल- 5501, कोहिमा-5302, शिलांग-5401, चूँडाचाँदपुर- 5502, अगरतला-5601, आइजोल-5701	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, हाऊसफेड कम्प्लेक्स वेस्ट एन्ड ब्लॉक, लास्ट गेट, बेल्लोला बशिस्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006
7.	बंगलूरु -9001, तिरुवनन्तपुरम-9211, कावाराती-9401	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल, "ई" विंग, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
8.	भोपाल-6001, जगदलपुर-6203, रायपुर-6204,	उप-निदेशक(म.प्र.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5 अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001
9.	बारामुला-1002, जम्मू-1004, श्रीनगर(ज. एवं क)- 1007, शिमला-1203, चण्डीगढ़-1601,	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं.-3, भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-167017

किन्हीं भी परिस्थितियों में परीक्षा केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए। आयोग केन्द्र में परिवर्तन के लिए केवल सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्यरत कार्मिकों से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित आवेदनों पर ही विचार करता है यदि संक्रियात्मक कारणों से उनकी तैनाती में बदलाव किया गया है।

आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रः कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।

9. परीक्षा की रूपरेखा :

प्रश्नपत्र	परीक्षा का तरीका	विषय	अधिकतम अंक	अवधि एवं समय
प्रश्नपत्र - I वस्तुनिष्ठ प्रकार (परीक्षा की तिथि 03-12-	कम्प्यूटर आधारित तरीका	(i) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति (ii) सामान्य जानकारी (iii) भाग-क सामान्य अभियांत्रिकी	50 50	2 घण्टे प्रातः कालीन पाली [10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर तक] अपराह्न पाली

2016से 05.12.2016 तक)		(सिविल एवं संरचनात्मक) या भाग-ख सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) या भाग-ग सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिक)	100	(अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक) टिप्पणी: प्रातः कालीन पाली में पूर्वाह्न 09.30 बजे के पश्चात तथा अपराह्न पाली में अपराह्न 1.30 बजे के पश्चात परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रश्नपत्र-।।. परंपरागत प्रकार	लिखित परीक्षा	भाग-क- सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक) या भाग-ख सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) या भाग-ग सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिक)	300	2 घंटे तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को सामान्य अभियांत्रिकी के लिए प्रश्नपत्र-। और प्रश्नपत्र-।। में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फार्म के कॉलम-13 में दिए गए विकल्प के अनुसार केवल एक भाग ही हल करना होगा। दूसरे शब्दों में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), कनिष्ठ अभियन्ता (मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-। और प्रश्नपत्र-।। में भाग-क (सिविल एवं संरचनात्मक) हल करना होगा और कनिष्ठ अभियन्ता (वैद्युत) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को भाग-ख (वैद्युत) हल करना होगा और कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-। और प्रश्नपत्र-।। का भाग-ग (यांत्रिक) हल करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को केवल प्रश्नपत्र-।। के लिए स्वयं अपना स्लाइड-रूल, कैलकुलेटर, लघुगणक टेबल और स्टीम टेबल लाने की अनुमति है। उन्हें प्रश्नपत्र-। में ये सहायता सामग्री इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न पत्र -। में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र-।। (परम्परागत प्रकार) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाएगा, जिन्हें प्रश्न पत्र-। में निष्पादन के आधार पर छांटा गया है।

अभ्यर्थियों को विशेष रूप से अनुमति प्रदान किए गए के अतिरिक्त मोबाइल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत साधन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अतः उन्हें परीक्षा भवन के अंदर मोबाइल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत साधन को नहीं लाना चाहिए, जिन्हें लाने की विशेष रूप से अनुमति नहीं दी गई है। इन्हें अपने पास रखना चाहें इनका इस्तेमाल हो या न हो, परीक्षा में "अनुचित साधन का प्रयोग" करना माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की अवधि तक के लिए विवर्जित भी किया जा सकता है और/ अथवा उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है।

प्रश्न पत्र-1 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखें।

आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस परीक्षा के पश्चात प्रश्न-पत्र-1 की उत्तर कुंजी प्रदर्शित की जाएगी। उत्तर कुंजी प्रदर्शित करते समय विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राप्त आपत्तियां एवं दावे, यदि कोई हैं, की जांच आयोग द्वारा, यदि आवश्यक हुआ तो, विशेषज्ञों की मदद से की जाएगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. निदर्शनात्मक पाठ्यक्रम

इंजीनियरी विषयों में प्रश्नों का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान, बोर्ड या विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी (सिविल/वैद्युत/यांत्रिकी) में डिप्लोमा स्तर का होगा। सभी प्रश्न, एस आई यूनिट में सेट किए जाएंगे। पाठ्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:-

प्रश्नपत्र-1

(i) सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति : सामान्य बुद्धिमत्ता के पाठ्यक्रम में शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में सादृश्यता, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदक निरीक्षण, संबंध-अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा।

(ii) सामान्य जानकारी:- इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के संबंध में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में इसके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं वैज्ञानिक पहलुओं संबंधी अनुभव की जांच करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति-व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती।

(iii) सामान्य अभियांत्रिकी(सिविल एवं संरचनात्मक),(वैद्युत तथा यांत्रिक):

भाग - क

सिविल अभियांत्रिकी

निर्माण सामग्री, आकलन, लागत एवं मूल्यांकन, सर्वेक्षण, मृदा यांत्रिकी, द्रवचालिकी, सिंचाई अभियांत्रिकी, परिवहन अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी।

संरचनात्मक अभियांत्रिकी

संरचना का सिद्धांत, कंक्रीट प्रोद्योगिकी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन।

भाग - ख

वैद्युत अभियांत्रिकी

आधारभूत धारणा, परिपथ नियम, चुंबकीय परिपथ, एसी मूलभूत नियम, माप तथा मापन यंत्र, वैद्युत मशीनें, खंडशः किलावॉट मोटर तथा एकल प्रावस्था प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक यंत्र, उत्पादन, संचारण एवं वितरण, आकलन एवं लागत, उपयोगिता तथा वैद्युत ऊर्जा, मूल इलैक्ट्रॉनिक्स ।

भाग - ग

यांत्रिक अभियांत्रिकी - यंत्र एवं यंत्र डिजाइन का सिद्धांत, अभियांत्रिकी यांत्रिकी तथा पदार्थ प्रबलता ।

शुद्ध पदार्थ गुणधर्म, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, आईसी इंजन के लिए वायु मानक चक्र, आई सी इंजन निष्पादन, आई सी इंजन दहन, आई सी इंजन शीतलन एवं स्नेहन, रैकिन चक्र पद्धति, बॉयलर, वर्गीकरण, विनिर्देश, समंजन एवं उपसाधन, वायु संपीडनी एवं उनके चक्र, प्रशीतन चक्र, प्रशीतन संयंत्र के सिद्धांत, तुंड एवं भाप टरबाइन

तरल के गुणधर्म एवं वर्गीकरण, तरल स्थैतिकी, तरल दाब का मापन, तरल शुद्धगतिक, आदर्श तरल की गतिकी, प्रवाह दर के मापन का मूल सिद्धांत, द्रवचालित टरबाइन, अपकेन्द्री पम्प, इस्पात का वर्गीकरण ।

भाग - II (भाग -क) :सिविल एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी

सिविल अभियांत्रिकी

निर्माण सामग्री : भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, वर्गीकरण, मानक परीक्षण सामग्रियों अर्थात् निर्माण प्रस्तर, सिलिकेटित आधारित सामग्री, सीमेंट (पोर्टलैंड), ऐस्बेस्टॉस उत्पाद, टिम्बर एवं काष्ठ आधारित उत्पाद, पटलन, बिटुमेनी सामग्री, पेंट, वार्निश का प्रयोग और निर्माण/आखनन ।

आकलन, लागत एवं मूल्यांकन : आकलन, तकनीकी शब्दावली, दरों का विश्लेषण, मापन की विधियां और इकाई, कार्य की मदे - मृदाबंध, ईट कार्य (माड्यूलरी और परम्परागत ईट), आर सी सी कार्य, शटरिंग, टिंबर कार्य, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग । सीमांत दीवार, ईट भवन, जल टैंक, सैप्टिक टैंक, बार बैंडिंग तालिका, केन्द्रीय रेखा विधि, मध्य-खण्ड सूत्र, समलंब सूत्र, सिम्सन का नियम, सैप्टिक टैंक का लागत आकलन, नम्य पेवमेंट्स, नल कूप, (ट्यूबवैल) एकल एवं संयुक्त फुटिंग्स, स्टील ट्रॅस, पाइल एवं पाइल-कैप्स । मूल्यांकन - मूल्य एवं लागत, कबाड़ मूल्य, बचाव मूल्य निर्धारित मूल्य, घटती हुई निधि, अवमूल्यन एवं अपक्षय, मूल्यांकन की विधि ।

सर्वेक्षण : सर्वेक्षण के सिद्धांत, दूरी मापन, शृंखला सर्वेक्षण, प्रिज्मीय कम्पास की कार्य प्रणाली, कम्पास ट्रवर्सिंग, बेयरिंग्स, स्थानीय आकर्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण, थियोडोलाइट मालारेखण, थियोडोलाइट का समायोजन, समतलन, समतलन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा, परिरेखण, वक्रता एवं अपवर्तन संशोधन, डम्पी लेवल के अस्थायी एवं स्थायी समायोजन, परिरेखण की विधियां, परिरेखा मानचित्र के प्रयोग, टैकिमितीय सर्वेक्षण, वक्र व्यवस्थापन, मृदा कार्य परिकलन, उन्नत सर्वेक्षण उपस्कर ।

मृदा यांत्रिकी : मृदा का उद्भव, प्रावस्था आरेख, परिभाषाएं- रिक्ति अनुपात, सूक्ष्मरंध्रता संतृप्ति की मात्रा, जलांश, मृदा कणों का विशिष्ट घनत्व, मात्रक भार, विभिन्न प्राचलों का घनत्व सूचक एवं परस्पर संबंध, कण आकार बंटन वक्र एवं उनके उपयोग । मृदा के सूचक गुणधर्म, अट्टरबर्ग की सीमा, आई एस आई मृदा वर्गीकरण एवं सुघट्यता चार्ट । मृदा की पारगम्यता, पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक का निर्धारण, परिरूद्ध एवं अपरिरूद्ध जलभृत्, प्रभावी प्रतिबल, बालुपंक, मृदाओं का संपिंडन, संपिंडन का सिद्धांत, संपिंडन की मात्रा, पूर्व-संपिंडन दाब, सामान्यतः संपिंडित मृदा, ई-लोग पी वक्र, चरम बस्ती का अभिकलन । मृदा की अपरूपण शक्ति, प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण, पिच्छ अपरूपण परीक्षण, त्रिअक्षीय परीक्षण । मृदा संहनन, प्रयोगशाला

संहनन परीक्षण, अधिकतम शुष्क घनत्व एवं इष्टतम नमी की मात्रा, पृथ्वी दाब सिद्धांत, सक्रिय एवं निष्क्रिय भू दाब, मृदा की दिक्मान धारिता, प्लेट भार परीक्षण, मानक वेधन परीक्षण ।

द्रवचालित : तरल गुणधर्म, द्रवस्थैतिक, प्रवाह का मापन, बर्नूली का प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, नली के माध्यम से प्रवाह, खुली वाहिकाओं में प्रवाह, बंधिका, अवनालिका, अधिप्लव मार्ग, पंप एवं टरबाइन ।

सिंचाई अभियांत्रिकी : परिभाषा, आवश्यकता, लाभ, सिंचाई के 2॥ प्रभाव, सिंचाई के प्रकार एवं विधियां, जलविज्ञान - वर्षा का माप, वाहजल गुणांक, वर्षामापी, वर्षण से क्षय - वाष्पीकरण, अंतःस्यंदन आदि । फसलों की जल आवश्यकता, जलमान, डेल्टा और आधार काल, खरीफ एवं रबी फसलें, कमाण्ड क्षेत्र, समय कारक, फसल अनुपात, अतिव्याप्ति भक्ता, सिंचाई दक्षता । विभिन्न प्रकार की नहरें, नहर सिंचाई के प्रकार, नहरों में जल की हानि । नहर लाइनिंग - प्रकार व लाभ । उथले एवं गहरे कुएं, कुएं से उपज । बंधिका एवं बांध, बंधिकाओं की असफलता एवं पारगम्य आधार, रेखाछिद्र एवं निघर्षण, केनेडी का क्रांतिक वेग का सिद्धांत । लेसी का एकसमान प्रवाह का सिद्धान्त । बाढ़ की परिभाषा, कारण व प्रभाव, बाढ़ नियंत्रण की विधियां, जलाक्रांति, निवारक उपाय । भूमि उद्धार, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने के लक्षण, उद्देश्य, पद्धति, भूमि की निर्माण एवं उद्धार प्रक्रिया । भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं ।

परिवहन अभियांत्रिकी : राजमार्ग अभियांत्रिकी - अनुप्रस्थ काट घटक, ज्यामितीय डिजाइन, पेवमेंट के प्रकार, पेवमेंट सामग्री - समूह एवं बिट्टुमेन, विभिन्न परीक्षण, नमन एवं दृढ़ कुट्टिम के डिजाइन - जल परिबंध मैकेडम (डब्ल्यू बी एम) और आर्द्र मिश्र मैकेडम(डब्ल्यू एम एम), बजरी सड़क, बिट्टुमेनी निर्माण, दृढ़ कुट्टिम जोड़, कुट्टिम अनुरक्षण, राजमार्ग जलनिकास, रेलवे अभियांत्रिकी-स्थायी पथ के घटक-स्लीपर, बैलास्ट, साजो समान तथा बंधक, पथ ज्यामिति, चिन्ह तथा क्रॉसिंग, पथ संधि, स्टेशन एवं यार्ड । यातायात अभियांत्रिकी - विभिन्न यातायात सर्वेक्षण, गति-प्रवाह-घनत्व एवं उनके अन्तरसंबंध, चौराहा एवं एकान्तरण, यातायात सिग्नल, यातायात प्रचालन, यातायात चिन्ह एवं अंकन, सड़क सुरक्षा ।

प्रावरणीय अभियांत्रिकी : जल की गुणवत्ता, जल आपूर्ति के स्रोत, जल शोधन, जल का वितरण, स्वच्छता की आवश्यकता, मलजल प्रणाली, वृत्ताकार सीवर, अंडाकार सीवर, सीवर उपकरण, मलजल शोधन । सतही जल निकासी । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - प्रकार, प्रभाव, अभियांत्रिक प्रबंधन प्रणाली । वायु प्रदूषण - प्रदूषक, कारण, प्रभाव, नियंत्रण । ध्वनि प्रदूषण - कारण, स्वास्थ्य पर प्रभाव, नियंत्रण ।

संरचनात्मक अभियांत्रिकी :

संरचना के सिद्धान्त : प्रत्यास्थता अचर, बीमों के प्रकार- परिमित एवं अपरिमित, एकशः साधारण रूप में अवलंब देने वाले कैंटीलीवर एवं प्रलंबी बीम के बंकन आघूर्ण एवं अपरूपण बल आरेख । आयातकार एवं वर्तुल खण्डों के लिए क्षेत्र का आघूर्ण एवं जड़त्व का आघूर्ण, शिखर (tee), वाहिकाओं एवं संयुक्त खण्डों, चिमनियों, बांधों और धारक भित्तियों, उत्केन्द्र भार के लिए बंकन आघूर्ण और अपरूपण प्रतिबल, एकशः आधारित एवं कैंटीलीवर बीमों, क्रांतिक भार तथा स्तंभों, परिपथ खण्ड के ऐठन का ढाल विक्षेपण ।

कंक्रीट प्रौद्योगिकी : कंक्रीट की विशेषताएं, लाभ व उपयोग, सीमेंट पुंज, जल गुणवत्ता का महत्व, जल-सीमेंट अनुपात, सुकरणीयता, मिश्र डिजाइन, भण्डारण, बैचिंग, मिश्रण, नियोजन, संहनन, कंक्रीट की परिसज्जा एवं संसाधन, कंक्रीट का गुणवत्ता नियंत्रण, गर्म मौसम एवं सर्द मौसम कंक्रीटिंग, कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव ।

आरसीसी डिजाइन : आरसीसी बीम-आनमन सामर्थ्यता, अपरूपण सामर्थ्यता, आबंध सामर्थ्यता, एकत प्रबलित एवं दोहरे प्रबलित बीम के डिजाइन, कैंटीलीवर बीम । टी-बीम, लिनटल । एकमार्गी एवं द्विमार्गी स्लैब, विलग फुटिंग । प्रबलित ईंट कार्य, स्तंभ, सीढ़ियां, धारक भित्ति, पानी की टंकी (आरसीसी डिजाइन प्रश्न सीमित स्तर एवं कार्यकारी प्रतिबल पद्धति दोनों पर आधारित हो सकते हैं)

स्टील डिजाइन : स्टील डिजाइन एवं स्टील स्तंभों का निर्माण, बीम छत ट्रॅस प्लेट गर्डर ।

भाग-ख वैद्युत अभियांत्रिकी

मूल संकल्पनाएं : प्रतिरोध की संकल्पनाएं, प्रेरकत्व, संधारित्रता, एवं उनको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक । धारा, वोल्टता, विद्युत, ऊर्जा की अवधारणाएं एवं उनकी इकाइयों की धारणा।

परिपथ नियम : किरखोफ का नियम, जाल प्रमेयों का प्रयोग करते हुए सरल परिपथ हल ।

चुंबकीय परिपथ : गालक की धारणा, एम एम एफ, प्रतिष्टम्भ, विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, विभिन्न विन्यास अर्थात् सीधा, वर्तुल, परिनालिकीय आदि के चालक के लिए चुंबकीय परिकलन । विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण ।

ए सी मूल सिद्धान्त : तात्कालिक, शिखर, प्रत्यावर्ती तरंगों के आर.एम.एस. तथा औसत मूल्य, ज्यावक्रीय तरंग रूप का निरूपण, आर.एल. और सी वाला समान्तर ए सी परिपथ, अनुनाद, टंकी परिपथ, बहुकली तंत्र - तारा एवं डेल्टा संबंधन, 3 प्रावस्था विद्युत, आर-एल और आर-सी परिपथ का डी सी और ज्यावक्रीय अनुक्रिया ।

मापन एवं मापक यंत्र : विद्युत (1प्रावस्था एवं 3 प्रावस्था, सक्रिय एवं पुनः सक्रिय दोनों) एवं ऊर्जा का मापन, 3 प्रावस्था विद्युत मापन की 2 वाटमापी विधि । बारंबारता एवं कला-कोण का मापन । एम्मापी एवं वोल्टमापी (चल तेल और चल लोह दोनों प्रकार), परिसर वाटमापी का विस्तार, बहुमापी, मेगर, ऊर्जा मीटर ए सी सेतु । सीआरओ का उपयोग, संकेत जनित्र, सीटी, पीटी एवं उनके उपयोग । भू संपर्क दोष अभिज्ञान ।

वैद्युत यंत्र : (क) डीसी यंत्र निर्माण, डीसी मोटर और जनित्र के मूल सिद्धान्त, उनकी विशेषताएं, डीसी मोटर का गति नियंत्रण और प्रवर्तन । ब्रेक मोटर विधि, डीसी यंत्रों का क्षय व दक्षता । (ख) 1 प्रावस्था और 3 प्रावस्था ट्रांसफार्मर - निर्माण, प्रचालन के सिद्धान्त, तुल्यमान परिपथ, वोल्टता नियमन, ओ.सी. और एस.सी. परीक्षण, क्षय एवं दक्षता । वोल्टता, बारंबारता तथा तरंग रूप के क्षय के प्रभाव । 1प्रावस्था एवं 3 प्रावस्था ट्रांसफॉर्मरों का पार्श्व प्रचालन । ऑटोट्रांसफॉर्मर । (ग) 3 प्रावस्था प्रेरणी मोटर, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, प्रचालन के सिद्धान्त, तुल्यमान परिपथ, ऐंठन-गति अभिलक्षण, 3 प्रावस्था प्रेरणी मोटर का प्रवर्तन एवं चाल नियंत्रण । ब्रेक की विधियां, ऐंठन गति अभिलक्षण पर वोल्टता एवं बारंबारता विविधता के प्रभाव ।

खंडशः किलोवाट मोटर्स और एकल प्रावस्था प्रेरणी मोटर : विशेषताएं और प्रयोग

तुल्यकालिक मशीन - 3-प्रावस्था इ.एम.एफ. आर्मेचर प्रतिक्रिया का उत्पादन, वोल्टेज नियंत्रण, दो प्रत्यावर्तित्रों का समांतर प्रचालन, तुल्यकालिकता, सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति का नियंत्रण, तुल्यकालिक मोटर की स्टार्टिंग और उनका प्रयोग ।

उत्पादन, पारेसण और वितरण - अलग-अलग प्रकार के विद्युत केन्द्र, उद्भार गुणक, विविधता अनुपात, मांग घटक, उत्पादन लागत, विद्युत केन्द्रों का आपसी कनेक्शन विद्युत गुणक सुधार, विभिन्न प्रकार के शुकक, दोषों के प्रकार, सममित दोषों के लिए शार्ट सर्किट धारा, स्विचगियर-परिपथ वियोजक का अनुमतांक, तेल और वायु द्वारा चाप विलोम का सिद्धान्त, एच आर सी फ्यूज, भू-संपर्क रिसाव/अति धारा आदि के प्रति सुरक्षा । बकोल्ज रिले, जनित्रों और ट्रांसफार्मर्स की सुरक्षा की मर्ज-प्राइस प्रणाली, फीडर्स और बस बार्स की सुरक्षा, तडित् निवर्तक, विभिन्न संचारण और वितरण प्रणाली, चालक पदार्थों की तुलना, विभिन्न प्रणालियों की सक्षमता, रज्जु- अलग-अलग प्रकार के रज्जु, रज्जु कोटि निर्धारण और अनुमतांक निम्न गुणक ।

आकलन और लागत : प्रकाश योजना का निर्धारण, मशीनों का विद्युत प्रतिष्ठापन और संगत आई इ नियम, भूसंपर्कन व्यवहार और आई इ नियम ।

वैद्युत ऊर्जा का उपयोग : प्रदीप्ति, वैद्युत तापन, वैद्युत वेल्डिंग, इलैक्ट्रो लिटिंग, विद्युत परिचालन और मोटर्स ।

मूलभूत इलैक्ट्रॉनिकी : विविध इलैक्ट्रॉनिकी साधनों का कार्यचालन, उदाहरण के लिए पी.एन. जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर (एन पी एन और पी एन पी प्रकार), बी जे टी और जे एफ इ टी । इन साधनों का प्रयोग करते हुए साधारण परिपथ ।

भाग-ग (यांत्रिक अभियांत्रिकी)

यंत्र और यंत्र डिजाइन का सिद्धांत

साधारण मशीन की संकल्पना, चार रोध संयोजन और बंध गति, गतिपालक चक्र और ऊर्जा का उच्चावचन, बैल्स-वी बैल्स और सपाट वैल्स द्वारा विद्युत संचारण, क्लच-प्लेट और शंक्वाकार क्लच, गियर-गियर के प्रकार, गियर प्रोफाइल और गियर अनुपात गणना, नियामक-सिद्धांत और वर्गीकरण, कीलक संधि, कैम, बियरिंग, कॉलर्स और धुराग्र में घर्षण ।

इंजीनियरिंग यांत्रिकी और पदार्थ की प्रबलता

बलों की साम्यावस्था, गति का नियम, घर्षण, प्रतिबल और विकृति की संकल्पना, लचकदार सीमा और लचकदार स्थिरांक, बंकन आघूर्ण और अपरूपण बल आरेख, सम्मिश्र रोध में प्रतिबल, गोलाकार कूपक का विमोटन, स्तंभों का चूर्णन-यूलर्स और रैकिन्स का सिद्धांत, महीन भित्ति वाली दाब वाहिकाएं ।

तापीय अभियांत्रिकी

शुद्ध पदार्थों के गुण-धर्म : H₂O जैसे शुद्ध पदार्थ का P-V एवं P-T आरेख, भाप जनन प्रक्रिया के संबंध में भाप सारणी परिचय, संतृप्ति की परिभाषा, आर्द्र और अतितापता स्थिति, शुष्कता अंश की परिभाषा, भाप के अंश, भाप की अतितापता का स्तर, भाप का h-s चार्ट (मोलियर चार्ट) ।

ऊष्मागतिकी का पहला नियम : संचित ऊर्जा एवं आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा, चक्रीय परिभाषा की ऊष्मागतिकी का पहला नियम, अप्रवाह ऊर्जा समीकरण, प्रवाह ऊर्जा एवं पूर्णोष्म की परिभाषा, स्थायी दशा स्थायी प्रवाह की अवस्थाएं, स्थायी दशा स्थायी प्रवाह ऊर्जा समीकरण ।

ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम : निमज्जन की परिभाषा, ऊष्मा भंडार स्रोत, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप एवं रेफ्रिजरेटर ऊष्मा इंजन की ऊष्मीय दक्षता एवं रेफ्रिजरेटर के निष्पादन की सह-दक्षता, ऊष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत का क्लविन-पलंक एवं क्लासियस स्टेटमेंट, तापमान का पूर्ण अथवा ऊष्मागतिकी पैमाना, क्लासियस इंटिग्रल, एन्ट्रॉपी आदर्श गैस प्रक्रिया की एन्ट्रॉपी परिवर्तन गणना, कॉरनट चक्र एवं कॉरनट दक्षता, पी एम एम-2, इसकी परिभाषा एवं असंभावना ।

आई सी इंजनों के लिए वायु मानक चक्र : ओटो चक्र, पी-वी पर प्लॉट, टी-एस प्लेन्स, तापीय दक्षता, डीजल चक्र, पी-वी पर प्लॉट, टी-एस प्लेन्स, तापीय दक्षता ।

आई सी इंजन निष्पादन, आई सी इंजन दहन, आई सी इंजन कूलिंग एवं स्नेहन

भाप का रैन्किन चक्र : पी-वी पर साधारण रैन्किन चक्र प्लॉट, टी-एस, एच-एस प्लेन्स, पंप कार्य के साथ व उसके बिना रैन्किन चक्र दक्षता ।

बॉयलर, वर्गीकरण विनिर्देशन, समंजन एवं सहायक उपकरण : फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर ।

वायु-संपीडक एवं उनके चक्र : प्रशीतन चक्र, प्रशीतन संयंत्र का सिद्धांत, नोजल एवं भाप टरबाइन तरल - यांत्रिकी एंड मशीनरी

तरल का गुण-धर्म एवं वर्गीकरण :

आदर्श एवं वास्तविक तरल, न्यूटन का श्यानता का सिद्धांत, न्यूटोनियन एवं नान-न्यूटोनियन तरल, संपीड्य एवं गैर-संपीड्य तरल ।

तरल प्रतिदर्शज : एक बिंदु पर दाब ।

तरल दाब का माप : मैनोमीटर, यू-ट्यूब, इन्क्लाइन्ड ट्यूब ।

तरल शुद्धगतिक : स्ट्रीम लाइन, स्तरीय एवं प्रक्षुब्ध बहाव, बाहरी एवं आंतरिक बहाव, सांतत्य समीकरण ।

आदर्श तरल की गतिकी : बरनोली के समीकरण, टोटल हैड, वेग हैड, दाब हैड, बरनोली के समीकरण का अनुप्रयोग ।

प्रवाह दर का मापन मूल भूत सिद्धांत:

वैन्टुरीमापी, पायलट ट्यूब, आरिफीस मीटर ।

हाइड्रोलिक टरबाइन : वर्गीकरण, सिद्धांत ।

अपकेन्द्री पंप : वर्गीकरण, सिद्धांत, निष्पादन ।

उत्पादन अभियांत्रिकी :

स्टील का वर्गीकरण : मृदु स्टील एवं मिश्र धातु स्टील, स्टील का ऊष्मा-उपचार, वैल्विंग-आर्क संधान, गैस संधान, प्रतिरोध संधान, विशेष संधान तकनीके अर्थात् टी आई जी, एम आई जी इत्यादि (ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग), संधान विक्षेप एवं टेस्टिंग, एन डी टी, फाऊंडरी एंड कास्टिंग-विधि (प्रणाली), विक्षेप, विभिन्न कास्टिंग प्रक्रियाएं, फोर्जिंग, बर्हिवेधन इत्यादि मेटल कटिंग सिद्धांत, कटिंग टूल्स, (i) लेथ (ii) पेपण (iii) वेधन (iv) रुपण (v) घर्षण, मशीन, टूल्स एवं निर्माण प्रक्रिया से मशीनीकरण के मूल सिद्धांत ।

11. परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश:

अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से प्रश्नपत्र लिखने/उत्तर दर्शाने होंगे ।

अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट साधनों को छोड़कर इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए , जिसके लिए इनके प्रयोग की अनुमति नहीं है।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वायरलेस संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी और उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से तीन वर्ष के लिए बहिष्कृत किया जाएगा ।

जैसा भी लागू हो, अभ्यर्थियों को अपने उत्तर हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में दर्शाएं/लिखना चाहिए । यदि उत्तर आंशिक रूप से हिन्दी में और आंशिक रूप से अंग्रेजी में और विलोमतः दर्शाए/लिखे गए होंगे तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा ।

12. चयन का तरीका:

अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-1 एवं 11 में कुल अंकों तथा पदों की वरीयता के आधार पर आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी ।

परन्तु अजा, अजजा, अपिव तथा शादि(शारीरिक रूप से दिव्यांग) के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा शादि(शारीरिक रूप से दिव्यांग) अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में सहयोजित किया जाएगा । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और शादि(शारीरिक रूप से दिव्यांग) श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए । शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी का अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, को आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में, बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो । आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है ।

जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों । यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जो कि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएं । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर, यदि अभ्यर्थी को स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त समझा गया, तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति उस पद पर स्थायी कर दी जाएगी ।

13. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी एक समान कुल प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी(टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

- (i) प्रश्नपत्र-11 में अंकों को देखकर
- (ii) प्रश्न पत्र-1 में अंकों को देखकर
- (iii) जन्मतिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा ।
- (iv) नामों के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए, जिसमें पहले आने वाले नाम पर विचार किया जाएगा ।

14. अन्य क्षेत्रों(निजी एवं सार्वजनिक) में रोजगार अवसर के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं.39020/1/2016-स्था.(ख) दिनांक 21.06.2016 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम के घोषणा के दौरान अभ्यर्थी के रैंक और अंक के अतिरिक्त अभ्यर्थी का विवरण जैसे अभिभावक/पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग(पुरुष/महिला) अर्हक परीक्षा में कुल अंक ई-मेल सहित संपूर्ण पता भी सार्वजनिक किया जाएगा। तथापि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय इस सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण न करने का विकल्प होगा।

15. आवेदन कैसे करें :

सभी आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे। आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत अनुदेशों और आवेदन पत्र कैसे जमा करें, इसके लिए अनुबंध-।। क तथा अनुबंध।। ख, देखा जा सकता है।

16. पदों तथा विभागों/कार्यालयों संबंधी वरीयता

अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में क्रमांक 16 में पद का नाम दर्शाना होगा, जिसके लिए वह कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित होने की स्थिति में, वरीयता क्रम में अंतिम आबंटन के लिए, अपने नाम पर विचार किए जाने का इच्छुक है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए पदों का आबंटन अनिवार्य रूप से उस पद में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अध्यधीन, योग्यता सूची में उनकी स्थिति तथा वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पदों को निम्नानुसार समूहबद्ध तथा कोडबद्ध किया गया है:-

कोड	पद
ए	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), केन्द्रीय जल आयोग
बी	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), केन्द्रीय जल आयोग
सी	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), के. लो.नि.वि.
डी	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), के.लो.नि. वि.
ई	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), डाक विभाग
एफ	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), मिलिट्री इंजीनियरी सेवा
जी	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिकी), मिलिट्री इंजीनियरी सेवा
एच	कनिष्ठ अभियंता (गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं संविदा), मिलिट्री इंजीनियरी सेवा
आई	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), फारक्का बांध परियोजना
जे	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत/यांत्रिकी), फारक्का बांध परियोजना
के	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
एल	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
एम	डीजीक्यूए, रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी),(गुणवत्ता आश्वासन नौ सेना)
एन	डीजीक्यूए, रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत),(गुणवत्ता आश्वासन नौ सेना)

अभ्यर्थी नोट करें कि एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा तथा किसी भी परिस्थिति में इसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. परीक्षा में प्रवेश

सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें अनुक्रमांक दिया जाएगा। यह उन्हें परीक्षा की तिथि से कम से कम दो सप्ताह के भीतर सूचित कर दिया जाएगा अथवा संबंधित क्षेत्रीय

कार्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी द्वारा किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा के प्रवेश पत्र(प्र.प.) जिनमें प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को भेज दिए जाएंगे। अभ्यर्थी संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकते हैं, इसे डाक से नहीं भेजा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे प्रवेश पत्र को प्राप्त करने के लिए पंजीकरण आई डी, भारतीय स्टेट बैंक की कार्य संव्यवहार आई डी, चालान की प्रति इत्यादि जैसे ब्योरों के साथ तत्काल आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने संबंधी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग किया गया फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए, चेहरा समान्य अवस्था में रंगीन तस्वीर(फोटो) होनी चाहिए, हल्के रंगीन रंग की पृष्ठभूमि अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि हो। यदि फ्लैश का प्रयोग किया गया हो तो यह सुनिश्चित हो कि आंखें लाल ना हों तथा चश्मे के मामले में आपकी आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। पूरी फोटो में चेहरा 80% से कम ना हो। फोटोग्राफ 8 बिट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए तथा उसका आकार 100 X120 (पिक्सल) के साथ 4 के वी से 12 के वी के बीच होना चाहिए।

कम से कम एक मूल फोटो आईडी जैसे मतदान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, सरकार अथवा अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्यरत है द्वारा जारी किया गया आई डी कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाना चाहिए। ऐसे बिना आईडी कार्ड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थी यदि अपेक्षित हो तो, निरीक्षक के समक्ष आयोग के प्रवेशपत्र की प्रति पर चिपकाने के लिए यदि, आवश्यक हो तो, अपने साथ 3 तीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ लाने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास फोटोग्राफ नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह उसी फोटोग्राफ जो आवेदन पत्र पर उन्होंने अपलोड की थी/चिपकाई थी, की 10 प्रतियां पहचान सहज बनाने के प्रयोजन से समस्त परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पास रखें।

18. आयोग का निर्णय अंतिम

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन का तरीका, परीक्षाओं का संचालन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि उन्हें दस्तावेज में कोई हेर-फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :-

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चार्ज चालू हालत में हो या बन्द अवस्था में हो ।

(ii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर

(iii) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।

(iv) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में सहायता प्राप्त की हो ।

(v) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।

(vi) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हो अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।

(vii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।

(viii) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।

(ix) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर बहार ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।

(x) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

(xi) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना ।

(xii) किसी भी आधार पर जिसे आयोग अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे ।

वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रश्नपत्र-1 में ओ एम आर उत्तर पत्रक के पृष्ठ-1 पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं लगाया हो अथवा जैसे नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या और टेस्ट फॉर्म संख्या जैसे ब्यौरे न लिखे अथवा कोडबद्ध नहीं किया है अथवा घोषणा / प्रमाणपत्र नहीं दिया है उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

20. न्यायालय क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

21. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत अनुदेशों, आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेशों और ऑन लाइन भुगतान/ आवेदन पत्र जमा करने के लिए अनुबंध-1, 11क और 11ख में उल्लिखित संदर्भ देखने की सलाह दी जाती है ।

22. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :

(i) इस परीक्षा में प्रश्नपत्र-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा प्रश्नपत्र-11 लिखित परीक्षा के रूप में

आयोजित की जाएगी ।

- (ii) आयोग पात्रता और अन्य पहलुओं की व्यापक संवीक्षा (छानबीन) लिखित परीक्षा के समय नहीं करेगा और इसलिए आवेदन केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार किया जाता है । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु की अपेक्षाओं को भली-भांती देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इन पदों के लिए पात्र हैं । प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएगी । संवीक्षा (छानबीन) करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा प्रमाणिक नहीं है, तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
- (iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शा.दि./भूपूसै श्रेणियों से संबंधित आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञापित में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं । अपने दावे के समर्थन में उनके पास निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए ।
- (iv) केवल 40% और उससे अधिक प्रतिशतता वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दिव्यांग माना जाएगा और वही अभ्यर्थी शारीरिक दिव्यांग संबंधी आरक्षण के पात्र हैं । दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह पद चिन्हित नहीं किए गए हैं ।
- (v) आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविलयन कर्मचारियों को निरंतर सेवा की अवधि के संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय अपने कार्यालय में विहित प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । जो कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व से कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि का होना चाहिए । उन्हें चयनित होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति तक केन्द्र सरकार का सिविल कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए ।
- (vi) शुल्क: एक सौ रुपए (100/-रुपए)केवल सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र) से संबंधित अभ्यर्थियों को सरकारी आदेश के अनुसार शुल्क से छूट प्राप्त है।
- (vii) अंतिम तिथि : 31.10.2016(सांय 05 बजे)
- (viii) कनिष्ठ अभियंता(सिविल, यांत्रिक और वैद्युत एवं मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2016 के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन प्रपत्रों को भरते समय उचित सावधानी बरतें । परीक्षा में सम्मिलित होते समय अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा कि उसने केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है ।
- (ix) परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है । परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद अवस्था हो के मामले को अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । उनके विरुद्ध आयोग द्वारा आपराधिक कार्रवाई एवं 3(तीन) वर्ष तक आयोग की परीक्षा से वारित करने सहित जैसा आयोग निर्णय ले, आगे कार्रवाई की जा सकती है ।
- (x) इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन से भेजे गए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा । ऑनलाइन आवेदन (डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) करने की सुविधा 01.10.2016 से 31.10.2016(सांय 05 बजे) तक उपलब्ध रहेगी । तथापि, भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 03.11.2016 तक बैंक के कार्य दिवस के भीतर भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते, कि चालान दिनांक 31.10.2016 को सांय 5.00 बजे से पहले जनरेट किया हो । अभ्यर्थी ऑनलाइन पर उन्हें दी गई पंजीकरण संख्या तथा अदा की गई फिस के ब्यौरे आयोग के साथ पत्राचार किए जाने हेतु अपने पास रखें । उन्हें अपने आवेदन की प्रिंटआऊट प्रति नहीं भेजनी चाहिए ।

- (xi) अभ्यर्थियों को पास-पोर्ट आकार के तीन रंगीन फोटो लाने होंगे । जिन अभ्यर्थियों के पास यह फोटोग्राफ नहीं होंगे, उन्हें इस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (xii) यदि प्रवेश प्रमाणपत्र की आयोग की प्रति और/अथवा उपस्थिति पत्रक में स्कैन किया गया फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है, तो निरीक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन उनके फोटो पहचान पत्र(आई डी)के प्रमाण के साथ करना तथा प्रवेश प्रमाणपत्र की आयोग की प्रति और/अथवा उपस्थिति पत्रक पर, रंगीन फोटोग्राफ चिपकवाना अपेक्षित होगा । तदनुसार, अभ्यर्थियों को, निरीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश प्रमाणपत्रों की आयोग की प्रति पर चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ साथ लाने चाहिए । फोटोग्राफ नहीं लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (xiii) यह सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व के हैं अर्थात् चयन किए जाने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए कहा जा सकता है ।
- (xiv) उक्त परीक्षा के लिए कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करना अपेक्षित है ।
- (xv) अभ्यर्थियों को अपनी शिकायतें, यदि कोई हैं के जल्द निवारण के लिए आवेदन पत्र में आधार संख्या देने की सलाह दी जाती है । तथापि यह देना अनिवार्य नहीं है ।

अवर सचिव(नी.एवं यो.-II)

विवरणिका

आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

- I. आयोग अपनी सभी परीक्षाओं में मानक आवेदन पत्र प्रयोग करता है। अतः आवेदन पत्र भरने से पहले अपने स्वयं के हित में परीक्षा की विज्ञप्ति में और नीचे भी दिए गए अनुदेशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ ले।
- II. आवेदन पत्र में अधिकतर मर्दों के लिए अनुदेश दिए गए हैं जिसे खाने भरने से पहले सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। जिन मर्दों के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं हैं, नीचे दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।
- III. आवेदन पत्र में दिए गए प्रत्येक मर्दों को भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों को पढ़ें :-

कॉलम 1 तथा 2: परीक्षा केन्द्र का नाम और 2. केन्द्र कोड

परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-8 देखें

कॉलम 12, 12.1 आयु में छूट प्राप्त करने के लिए कोडपरीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 4 क देखें।

कॉलम 13. सामान्य अभियांत्रिकी के लिए विषय-अपना विषय सावधानी पूर्वक चुनें। इसमें बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कॉलम 14. अभ्यर्थी सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुसलमान(मुस्लिम), ईसाई, सिख, बौद्ध या जोरास्ट्रियन(पारसी) से है तो यथा इंगित करें

कॉलम 16:पदों की वरीयता : आपको केवल उन पदों/ विभागों (पैरा 15 देखें) के लिए विकल्प देने की सलाह दी जाती है जिसके लिए आपके पास अपेक्षित योग्यता है। आपको यह सलाह भी दी जाती है कि आप अपनी वरीयता सावधानीपूर्वक दें, क्योंकि आपके चयनित होने की स्थिति में, आपके बारे में आपकी योग्यता तथा प्रत्येक पद के लिए विकल्प के क्रम में, पद और विभाग हेतु विचार किया जाएगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा तथा किसी भी परिस्थिति में इसमें परिवर्तन करने/जोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

कॉलम 19. शैक्षिक योग्यता और विषय कोड : अनुबंध VIII देखें

यदि किसी भी विशिष्ट शैक्षिक योग्यता अथवा विषय का कोड नहीं दिया गया है तो 'अन्य' का प्रयोग करें।

कॉलम 19.1 कृपया विज्ञप्ति का पैरा-14 देखें।

कॉलम 21. पत्रव्यवहार के लिए पता

अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपने नाम सहित पत्रव्यवहार का पूरा पता लिखें। खाने में 6 अंकों का पिन लिखना न भूलें। सभी पत्राचार इस पते पर किए जाएंगे। आकस्मिक स्थिति में अभ्यर्थियों के साथ पत्राचार करने के लिए ई-मेल आई डीज/मोबाइल नम्बरों का उपयोग किया जाता है। अतः यह अभ्यर्थियों के हित में है कि वह इन ब्यौरो को दें।

कॉलम 22: स्थायी पता : अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपने नाम सहित पूरा स्थायी पता लिखें। खाने में 6 अंकों का पिन लिखना न भूलें।

कॉलम 23: फोटोग्राफ: फोटोग्राफ फाइल का डिजिटल आकार 100 पिक्सल चौड़ाई तथा 120 पिक्सल ऊंचाई रेजाल्यूशन सहित 4केवी से ज्यादा तथा 12 केवी से कम होना चाहिए।

कॉलम 24. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर जेपीजे फॉर्मेट में अपलोड करने चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 40 पिक्सल चौड़ाई तथा 60 पिक्सल ऊंचाई रेजाल्यूशन सहित 11 केवी से ज्यादा और 12 केबी से कम होनी चाहिए। अस्पष्ट तथा धुंधले आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: आवेदन पत्र में एक बार भरे गए किसी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार उपलब्ध रहेंगे

भाग-I पंजीकरण : 28-10-2016 को सायं 5-00 बजे तक

भाग-II पंजीकरण : 31-10-2016 को सायं 5-00 बजे तक

2. वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> पर आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी को कुछ भी भरने अथवा विकल्प चुनने से पहले इस विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए। अनिवार्य क्षेत्रों को *(तारक) चिन्ह से अंकित किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म निम्नलिखित दो भागों में भरे जाएंगे :

भाग-I। पंजीकरण

भाग-II। पंजीकरण

3. भाग -I पंजीकरण में अभ्यर्थी को मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण भरने पर, अभ्यर्थी को विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।

4. घोषणा करने के बाद जब अभ्यर्थी यह देखें कि उसके द्वारा दी गई सूचना क्रम में है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है तो वह "मैं सहमत हूँ" का बटन दबा सकता है। उसके बाद किसी सुधार/संशोधन आदि की अनुमति नहीं होगी।

5. उसके बाद पंजीकरण सं. वाला पेज तैयार हो जाएगा। अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें अथवा उस पेज का प्रिंट आउट निकाल लें। भाग-II पंजीकरण के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी है। भाग II पंजीकरण में भुगतान संबंधी विवरण भरना, फोटोग्राफ और स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करना शामिल है। अभ्यर्थी नोट कर लें कि आयोग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या और बैंक की कार्य-संव्यवहार,आईडी को संगत स्थानों में समुचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, जिसके बिना इसे भाग-I पंजीकरण के साथ संबद्ध करना संभव नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन केवल तभी पूरा होगा यदि अनुदेशों के अनुसार स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और फोटो अपलोड कर दिए गए हैं।

6. भा. स्टेट बैंक नेट बैंकिंग, डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के इच्छुक अभ्यर्थी भाग-I पूरा करने के बाद सीधे भाग II में जा सकते हैं। अभ्यर्थी को भाग II पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि उपलब्ध करानी होगी।

7. शुल्क का नकद भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी भाग-I पंजीकरण को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तैयार किए गए चालान का प्रिंट ले सकता है। यह आवश्यक शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें और इसके पश्चात भाग-II पंजीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ करें।

8. जिन्हें शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है वे 6 से 8 चरण को छोड़ सकते हैं।

9. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फॉर्मेट में हाल में खींचा व स्कैन किया गया फोटो अपलोड करें। फाइल का डिजीटल आकार 12 के.बी. से कम और 4 के.बी. से अधिक तथा 100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊंचाई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए।

10. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फॉर्मेट में अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करें। फाइल का डिजिटल आकार 12 के.बी. से कम और 1 के. बी.से अधिक और 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊंचाई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए। परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 16 में विशेष रूप से उल्लिखित।
11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक अनुदेशों को पढ़ लें।
12. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग आवेदन पत्र में भरे गए किसी विवरण में किसी प्रकार के सुधार/जोड़/विलोपन की अस्वीकार्यता से उत्पन्न किन्हीं भी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे उसका कोई भी कारण हो।

आयु में छूट प्राप्त करने के इच्छुक केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 4(ख) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

कनिष्ठ अभियंता (सिविल, वैद्युत आदि) परीक्षा, 2016 और उक्त परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन में उनके बैठने के लिए इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

(सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
..... (नंबर) (रैंक)
.....
..... (नाम) (दिनांक)
..... को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान:

(कमान अफसर के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/करबा*
 जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य
 क्षेत्र*.....के.....
 जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....
 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.....
 संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
 संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
 संविधान(गोवा ,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
 संविधान(गोवा ,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
 संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
 संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
 संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
 संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@
 संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991 @
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991 @

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*के माता/पिता
श्री/श्रीमती.....निवासी
ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र*.....को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जोजाति/जनजाति से संबंधित है
जो.....दिनांकद्वारा
जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा..... जिला/संभाग.....राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र.....में रहता है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान.....

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु पुत्र/पुत्री

..... ग्राम

..... जिला/संभाग राज्य

समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं----- दिनांक----- के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :

श्री/श्रीमती/कु0..... तथा/या उनका परिवार

सामान्यतः.....

..... राज्य संघ राज्य क्षेत्र के

जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993** के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

दिनांक:

मुहर:

जिलाधीश -----

उपायुक्त आदि-----

- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्यौरे-का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

** समय- समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी :- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

टिप्पणी :- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधांपन के मामले में)

(नियम-4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.-----

तारीख -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री-----जन्म तिथि----- आयु-----
(दि./म./व.)
पुरुष/महिला-----की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या-----स्थायी आवास मकान नं.-----
वार्ड/गांव/गली-----डाक घर-----जिला-----
राज्य-----

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- नेत्रहीन का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में-----निदान किया गया है।

(क)वे दिशानिर्देशों के अनुसार-----अपने (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में-----%
(अंकों में)-----प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु दिव्यांगता के मामले में)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम-4 देखें)

निःशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.-----

तारीख -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री-----जन्म तिथि-----आयु-----
(दि./म./व.)
पुरुष/महिला-----की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या-----स्थायी आवास मकान नं.-----
वार्ड/गांव/गली-----डाक घर-----जिला-----
राज्य-----

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-दिव्यांगता का है। निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार (ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण दिव्यांगता	\$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

ख. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार (ब्यौरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है:-

अंकों में-----प्रतिशत

शब्दों में-----प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनः निर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) -----वर्ष-----माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की

जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- तक मान्य रहेगा।

तारीख

माह

वर्ष

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

\$ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुह

--	--	--

सदस्य का नाम एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर

अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम-4 देखें)

निःशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.-----

तारीख -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि ----- आयु-----
(दि./म./व.)
पुरुष/महिला-----की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या-----स्थायी आवास मकान नं.-----
वार्ड/गांव/गली-----डाक घर-----जिला-----

राज्य----- जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला
निःशक्तता है। निःशक्तता के लिए (ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार (ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी
शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में
संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण दिव्यांगता	\$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार (ब्योरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है:-

अंकों में-----प्रतिशत

शब्दों में-----प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनः निर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है
अथवा

(ii) -----वर्ष-----माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की

जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- तक मान्य रहेगा।
तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

\$ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुह

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता
प्रमाणपत्र जारी किया गया
है

शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
डिप्लोमा	04
बी.ई.	13
बी.टेक	14
ए.एम. आई.ई.(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी.(इंजी.)	16
रक्षा(भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी.(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35
सर्वेक्षण संस्थान (भारत) का भवन एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण उप-प्रभाग-II में इंटरमीडिएट परीक्षा	36
सर्वेक्षण संस्थान (भारत) का भवन एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण उप-प्रभाग-II में सीधी अंतिम परीक्षा	37

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

अनुबंध-IX

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रॉनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रॉनिकी एवं इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
अन्य	48
वैद्युत व इलैक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी	49
वैद्युत/विद्युत अभियांत्रिकी	50
सिविल एवं अवसंरचनात्मक अभियांत्रिकी	51
सिविल और ग्रामीण अभियांत्रिकी	52
उत्पादन अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित यांत्रिक अभियांत्रिकी	53
विद्युत संयंत्र अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित यांत्रिक अभियांत्रिकी	54
औजार प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित यांत्रिक अभियांत्रिकी	55
वास्तुशिल्प और नगर नियोजन में विशिष्टता सहित सिविल अभियांत्रिकी	56
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित सिविल अभियांत्रिकी	57
सिविल अभियांत्रिकी(एन सी)	58
सिविल अभियांत्रिकी(जल एवं विद्युत संसाधन)	59
सिविल अभियांत्रिकी(जल संसाधन)	60
सिविल अभियांत्रिकी(निर्माण)	61
सिविल अभियांत्रिकी(पर्यावरण संबंधी प्रदूषण एवं नियंत्रण)	62
यांत्रिक अभियांत्रिकी(उत्पादन)	63
यांत्रिक अभियांत्रिकी(रखरखाव)	64
यांत्रिक अभियांत्रिकी(ऑटो-मोबाइल)	65
इंजीनियरिंग में स्नात्कोत्तर	66
भवन एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण	67

समकक्ष योग्यताओं की सूची

क्रम संख्या	विषय(डिग्री/डिप्लोमा)
01	अभियंताओं की संस्था(भारत) की सिविल/वैद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में एएमआईई(भाग क और ख)
02	वैद्युत व इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
03	बी.ई.(वैद्युत/विद्युत)
04	सिविल एवं अवसंरचनात्मक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
05	सिविल और ग्रामीण अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा
06	बी.एस.सी(सिविल अभियांत्रिकी)
07	उत्पादन अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
08	विद्युत संयंत्र अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
09	औजार प्रौद्यो. अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
10	वास्तुशिल्प और नगर नियोजन में विशिष्टता सहित सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में विशिष्टता सहित सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
12	सिविल अभियांत्रिकी(एन सी) में डिप्लोमा
13	सिविल अभियांत्रिकी(जल एवं विद्युत संसाधन) में डिप्लोमा
14	सिविल अभियांत्रिकी(जल संसाधन) में डिप्लोमा
15	सिविल अभियांत्रिकी(निर्माण) में डिप्लोमा
16	सिविल अभियांत्रिकी(पर्यावरण संबंधी प्रदूषण एवं नियंत्रण) में डिप्लोमा
17	यांत्रिक अभियांत्रिकी(उत्पादन) में डिप्लोमा
18	यांत्रिक अभियांत्रिकी(रखरखाव) में डिप्लोमा
19	यांत्रिक अभियांत्रिकी(ऑटो-मोबाइल) में डिप्लोमा